न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 02/2020

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
राधेश्याम दास, प्रवर्तन
निरीक्षक, सिणधरी

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. मैसर्स जय बजरंग फिलिंग स्टेशन, गुडामालानी मालिक श्री जगराम पुत्र श्री सोनाराम, जाति बिश्नोई निवासी कांधी की ढाणी, गुडामालानी फिलिंग स्टेशन, गुडामालानी, जिला बाड़मेर
2. मैसर्स जय बजरंग फिलिंग स्टेशन, गुडामालानी मैनेजर श्री रोकड दुवासा पुत्र श्री शत्रुघ्न निवासी 0 गांधी स्ट्रीट नं. 5, चरखडी प्रथम गमतात एरिया चरखडी तहसील गुण्डल जिला राजकोट गुजरात 360311

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.03.2022

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स यूनियन, बाड़मेर ने मैसर्स जय बजरंग फिलिंग स्टेशन, जालोर रोड द्वारा कथित बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) [illegible] अवैध रूप से भण्डारण कर बिक्री करने की शिकायत पर दिनांक 09.[illegible].2019 और 11.12.2019 को जांच करने पर उक्त फर्म के परिसर में अप्रच[illegible] भूमिगत लोहे के [illegible] कुल 14998 लीटर (लोहे के 61 ड्रमों प्रत्येक में 215 लीटर कुल 13115 लीटर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्लास्टिक के 8 ड्रमों प्रत्येक में 235 लीटर कुल 1880 लीटर) कथित बायोडीजल का अवैध भण्डारण पाया जाने पर जब्त किया गया। उक्त जब्त किये गये बायोडीजल पेट्रोलियम उत्पाद के मिलावटी होने के संदेह पर तीन नमूना सेम्पल एक–एक लीटर का लेकर परिसर में स्थित फर्म ऑफिस, एक डीजल डिस्पेंसरी यूनिट तथा लोहे का अप्रचलित भूमिगत टैंक जिसमें कुल 14995 लीटर (लोहे के 61 ड्रमों प्रत्येक में 215 लीटर कुल 13115 लीटर एवं प्लास्टिक के 8 ड्रमों प्रत्येक में 235 लीटर कुल 1880 लीटर) को सील चस्पा करके खुर्द–बुर्द नहीं करने संबंधित नोटिस चस्पा किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध पेट्रोलियम पदार्थ, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण, पूछताछ मुलजिम व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिमान जगराम पुत्र श्री सोनाराम, जाति बिश्नोई निवासी कांधी की ढाणी, गुडामालानी तथा श्री रोकड दुवासा पुत्र श्री शत्रुघ्न निवासी 0 गांधी स्ट्रीट नं. 5, चरखडी प्रथम गमतात एरिया चरखडी तहसील गुण्डल जिला राजकोट गुजरात द्वारा कथित बायोडीजल के नाम पर अवैध रूप से भंडारित पेट्रोलियम पदार्थ डीजल की बिक्री करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण जगराम पुत्र श्री सोनाराम, जाति बिश्नोई निवासी कांधी की ढाणी, गुडामालानी तथा श्री रोकड दुवासा पुत्र श्री शत्रुघ्न निवासी 0 गांधी स्ट्रीट नं. 5, चरखडी प्रथम गमतात एरिया चरखडी तहसील गुण्डल जिला राजकोट गुजरात के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 14995 लीटर (लोहे के 61 ड्रमों प्रत्येक में 215 लीटर कुल 13115 लीटर एवं प्लास्टिक के 8 ड्रमों प्रत्येक में 235 लीटर कुल 1880 लीटर) बायोडीजल का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या जरिये अधिवक्ता

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने प्रत्येक स्तर पर समुचित प्रमाण–पत्र एवं डीलरशिप, सत्यापन तथा प्रमाणन करवाकर ही विधिसंगत तरीके से बायोडीजल पम्प का संचालन किया जा रहा था, जिनकी प्रतियां संलग्न प्रस्तुत हैं। अप्रार्थी ने दिनांक 25.09.2019 को 15000 लीटर सीजशुदा बायोडीजल जीएसटी नंबर सहित प्राप्त किया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। अप्रार्थी के डीजल बेचान की वैधता दिनांक 30.09.2019 को समाप्त हो जाने पर उसने अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण करवाने हेतु आवेदन कर रखा था किन्तु इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा बायोडीजल पम्प पर डीजल के विक्रय पर रोक लगाने की पालना के क्रम में अप्रार्थी ने उक्त सीजशुदा डीजल का बेचान बंद कर पम्प परिसर में ही स्टॉक में रख दिया था जिस पर रसद विभाग ने कार्यवाही कर सीज कर दिया गया। यह भी निवेदन किया कि रसद विभाग के द्वारा की गई जांच एकतरफा एवं बिना कोई नोटिस दिये की गई थी। यहां तक कि सैम्पल की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में भी सीजशुदा पदार्थ बायोडीजल नहीं होना पाया गया है। इस प्रकार निवेदन है कि उसके विरूद्ध उक्त प्रकरण गलत रूप से बनाये जाने के कारण इसी स्टेज पर खारिज कर जब्तशुदा बायोडीजल, परिसर एवं सामग्री सुपुर्द की जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की ओर से अधिवक्ता को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जगराम पुत्र श्री सोनाराम, जाति बिश्नोई निवासी कांधी की ढाणी, गुडामालानी तथा श्री रोकड दुवासा पुत्र श्री शत्रुघ्न निवासी 0 गांधी स्ट्रीट नं. 5, चरखडी प्रथम गमतात एरिया चरखडी तहसील गुण्डल जिला राजकोट गुजरात द्वारा बिना लाइसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखकर भण्डारण करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी स्वयं ने अपने जवाब में अंकित किया है कि उसका अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत नहीं है, इसके बावजूद उसके द्वारा अवैध रूप से बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण कर विक्रय किया जा रहा था। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स यूनियन, बाड़मेर ने अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जय बजरंग फिलिंग स्टेशन, जालोर रोड द्वारा कथित बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) का अवैध रूप से भण्डारण कर बिक्री करने की शिकायत पर दिनांक 09.12.2019 और 11.12. 2019 को जांच करने पर उक्त फर्म के परिसर में अप्रचलित भूमिगत लोहे के टेंक में कुल 14998 लीटर (लोहे के 61 ड्रमों प्रत्येक में 215 लीटर कुल 13115 लीटर एवं प्लास्टिक के 8 ड्रमों प्रत्येक में 235 लीटर कुल 1880 लीटर) कथित बायोडीजल का अवैध भण्डारण पाया जाने पर जब्त किया गया। यदि अप्रार्थी का अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत नहीं था तो उसे उक्त स्टॉक पुनः संबंधित फर्म को लौटा देना चाहिए था क्योंकि बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अप्रार्थीगण की फर्म के पास उक्त स्टॉक स्पष्ट रूप से मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप प्रकरण में सीजशुदा फर्म ऑफिस, एक डीजल डिस्पेंसरी यूनिट तथा लोहे का अप्रचलित भूमिगत टैंक जिसमें कुल 14995 लीटर (लोहे के 61 ड्रमों प्रत्येक में 215 लीटर कुल 13115 लीटर एवं प्लास्टिक के 8 ड्रमों प्रत्येक में 235 लीटर कुल 1880 लीटर) राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे से हस्तगत प्रकरण में सीजशुदा फर्म ऑफिस, एक डीजल डिस्पेंसरी यूनिट तथा लोहे का अप्रचलित भूमिगत टैंक जिसमें कुल 14995 लीटर (लोहे के 61 ड्रमों प्रत्येक में 215 लीटर कुल 13115 लीटर एवं प्लास्टिक के 8 ड्रमों प्रत्येक में 235 लीटर कुल 1880 लीटर) राजसात करने का आदेश दिया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय नजीर 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे मे पारित निर्णय दिनांक 06.02.2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज मे वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा जब्त एवं इस न्यायालय द्वारा राजसात किये गये उक्त फर्म ऑफिस परिसर, जनरेटर, डीजल डिस्पेंसरी यूनिट तथा लोहे का अप्रचलित भूमिगत टैंक के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य दस लाख का जुर्माना अप्रार्थी संख्या 1 परिसर मालिक जगाराम पर अधिरोपित किया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात की गई उक्त कुल 14995 लीटर बायोडीजल की राशि के अतिरिक्त है, जो परिसर मालिक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त जुर्माना राशि अदा कर दें तो उक्त राजसात किये गये फर्म ऑफिस परिसर, जनरेटर, डीजल डिस्पेंसरी यूनिट तथा लोहे का अप्रचलित भूमिगत टैंक उन्हें नियमानुसार सुपर्द कर दिये जावें। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को आदेश दिये जाते हैं कि वह राजसात किये गये उक्त फर्म ऑफिस परिसर, जनरेटर, डीजल डिस्पेंसरी यूनिट तथा लोहे का अप्रचलित भूमिगत टैंक राज्य पक्ष में निस्तारण करवावें। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.06.2020 की पालना में जब्त किये गये बायोडीजल के अंतरीम निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त अमानत राशि अब नियमानुसार राज्य कोष मे नियत मद में जमा कराई जावें।

5. आदेश आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lon

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested